प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.06.2025

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 19.06.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोर 02 अभियुक्त 1. विपिन उर्फ कलुआ पुत्र करनपाल निवासी नेतानगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 21 वर्ष 2. आलोक पुत्र सहदेव निवासी नेतानगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 26 वर्ष को राहुल विहार थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त मोटरसाइकिल की जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि यह मोटरसाइकिल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से वर्ष 2023 में चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 379 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि करीब 02 वर्ष पूर्व हमने यह मोटरसाइकिल मुखिया फार्म हाउस बहरामपुर के पास से चोरी की थी जिसको हमने अबतक छिपाकर रखा था। आज हम इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.विपिन उर्फ कलुआ पुत्र करनपाल निवासी नेतानगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 21 वर्ष।

2.आलोक पुत्र सहदेव निवासी नेतानगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 18.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोर 02 अभियुक्त 1. बोस्तान पुत्र नौशाद निवासी मुस्तफा मस्जिद के पास पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 2.रोजुद्दीन उर्फ रोजू पुत्र शेर मोहम्मद उर्फ शेरी निवासी टंकी वाला रोड पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को चौकी क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर पूर्व से धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने यह मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले सेक्टर-सी-2 ट्रोनिका सिटी से चोरी की थी। हम इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.बोस्तान पुत्र नौशाद निवासी मुस्तफा मस्जिद के पास पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

2.रोजुद्दीन उर्फ रोजू पुत्र शेर मोहम्मद उर्फ शेरी निवासी टंकी वाला रोड पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त बोस्तान के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त रोजुद्दीन उर्फ रोजू के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग , एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग व चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-04)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं कानून - व्यवस्था द्वारा यातायात कार्यालय का निरीक्षण

आज दिनांक 19-06-2025 को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं कानून व्यवस्था, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पुलिस लाइन्स स्थित यातायात कार्यालय में उपलब्ध उपकरण/सामग्री एवं कार्यालय में किये जाने वाले कार्यो का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम महोदय द्वारा सलामी ली गयी, इसके उपरांत यातायात पुलिस द्वारा ड्यूटी के दौरान प्रयोग किये जाने वाले प्रमुख उपकरणों/संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी। तत्पश्चात यातायात पुलिस के समस्त कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए चालानी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी एवं यातायात पुलिस में ड्यूटी के व्यवस्थापन में प्रयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी।

निरीक्षण के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात को निर्देशित किया गया कि ब्रीथ एनालाइजर की मदद से शराब सेवन कर चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध, दूषित अथवा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तीन सवारी एवं काली फिल्म के विरुद्ध प्रतिदिन चेकिंग एवं चालानी/सीज की कार्यवाही एवं आमजनमानस को यातायात नियमों/सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना/कराना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं कानून व्यवस्था द्वारा ऐसे वाहन जिन पर 10 या 10 से अधिक चालान लंबित हैं, का चिन्हीकरण कर उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त किये जाने हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन को पत्राचार किये जाने हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात एवं समस्त यातायात निरीक्षक गण उपस्थित रहे।

सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।